



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27102025-267158
CG-DL-W-27102025-267158

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, अक्टूबर 12—अक्टूबर 18, 2025, शनिवार/ आश्विन 20—आश्विन 26, 1947
No. 37] NEW DELHI, OCTOBER 12—OCTOBER 18, 2025, SATURDAY/ASVINA 20—ASVINA 26, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 168.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, में बहुकार्य कर्मचारी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 को, जहां तक इनका संबंध बहुकार्य कर्मचारी के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, में बहुकार्य कर्मचारी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारी	143 *(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। ऊपरी आयु-सीमा में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक	सीधी भर्ती द्वारा।

		समावेशन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	टिप्पणी: एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर बाहर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा; (क) नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किए हुए है और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं।
--	--	---	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. निदेशक, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी - सदस्य। 3. सहायक प्रोफेसर - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/40/2017- एमई]

पंकज कुमार, उप-निदेशक, डीटीई.जी.एच.एस.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th September, 2025

G.S.R. 168.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Multi Tasking Staff (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Ministry of Health and Family Welfare namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Multi Tasking Staff (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Multi Tasking Staff.	143* (2025) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18000 – 56900) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. The upper age-limit is relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	10 th class pass from a recognised Board or equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of Central	Not applicable.

	induction training of two weeks duration.	Government,- (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	
--	---	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi – Chairman; 2. Medical Officer – Member; 3. Assistant Professor – Member; 4. Administrative Officer – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/40/2017-ME]
PANKAJKUMAR, Dy Director, Dte.GHS.

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 169.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में प्रधान लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, प्रधान लिपिक (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रधान लिपिक।	*4(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भारी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे ज्येष्ठ सहायक (प्रशासन) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो जिन्होंने प्रशासन में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी का ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धरण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छः वर्ष की सेवा की हो; या

	(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो या (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। (ii) स्थापना या कार्मिक या सतर्कता या लोक उपापन मामलों में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. औषधि नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य; 2. उप निदेशक प्रशासन (औषधि) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. औषधि नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषधि नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य; 2. उप निदेशक प्रशासन (औषधि) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/01/2023-डी.आर.एस]

किरण कुमार कर्लापु, निदेशक

New Delhi, the 9th October, 2025

G.S.R. 169.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Clerk in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Head Clerk (Group ‘B’ Post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Head Clerk.	4(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotions or by deputation/ absorption, grades from which promotions or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion, failing which by deputation.	Promotion: Senior Assistant (Administration) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade having successfully completed two weeks training in administration. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare- Chairperson; 2. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation- Member; 3. Deputy Director Administration (Drugs), Central Drugs Standard Control Organisation- Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare- - Chairperson; 2. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation -Member; 3. Deputy Director Administration (Drugs), Central Drugs Standard Control Organisation - Member.	Not applicable.

	(iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing following educational qualifications and experience- (i) Bachelors Degree from a recognised University or institute. (ii) one year's experience in establishment or personnel or vigilance or public procurement matters. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	---	--	--

[F. No. A.12018/01/2023-DRS]

KIRAN KUMAR KARLAPU, Director

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 170.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (समूह 'ग') पराचिकित्सा और साधारण प्रवर्ग पद भर्ती नियम, 1993 को, जहां

तक उनका संबंध चालक श्रेणी-1 (भारी यान) और चालक श्रेणी-2 (हल्का यान) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, स्टाफ कार चालक काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुप्रयोग -** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7.- **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1)।	16*(2025) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु.29200-92300)।	अचयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25500-81100) में ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) जिन्होंने उसी श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक श्रेणी-2 और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो; और केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यापार परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब तक कि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों में से- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रुपये) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात:- (क) आवश्यक: (i) जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; (ii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यानों में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में सक्षम हो); (iii) जिनके पास मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। (ख) वांछनीय : जिसने होमगार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु
--	--	--	--

				सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. अपर निदेशक (मुख्यालय) - सदस्य; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली। 3. उप सचिव या अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2)।	14* (2025) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (रु. 25500-81100)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु.19900-63200) में ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यापार परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. अपर निदेशक, (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली - सदस्य;	लागू नहीं होता।

			जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों में से - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु.19900-63200) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात नौ वर्ष की सेवा कर ली हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हों; अर्थात् :- (क) आवश्यक: (i) जिसके पास मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; (ii) मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान हो (अभ्यर्थी यानों की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में सक्षम हो); (iii) जिसके पास मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की हो। (ख) वांछनीय: जिसने होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो।	3. उप सचिव या अवर सचिव (प्रशासन) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली - सदस्य।	
--	--	--	---	---	--

			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)।	14*(2025) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(क) आवश्यक : I. जिसके पास मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; II. मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान हो (अभ्यर्थी यानों में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में सक्षम हो); III. जिसके पास मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और IV. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। (ख)वांछनीय: होमगार्ड या सिविल स्वयंसेवकों के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2-अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित कार्मिक के लिए दो वर्ष। टिप्पण- परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपये) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह ग) और समूह ग कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की सक्षमता के लिए चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपए) में नियमित आधार पर सवार हरकारा नियमित समूह ग कर्मचारियों का पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं रखते हों। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं जिनके पास सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण-प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन

				या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2-प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--	--

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, संबंधित सीजीएचएस शहर या अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार योजना (मुख्यालय) - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर - सदस्य; 3. संबंधित अपर निदेशक द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित सीजीएचएस शहर की स्थापना या संबंधित सीजीएचएस शहर में कार्यरत समूह 'क' अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 12018/03/2021-सीजीएचएस-1]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 2025

G.S.R. 170.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme, Delhi (Group 'C') Paramedical and general categories of posts Recruitment Rules, 1993, in so far as they relate to the posts of Driver Grade-I (Heavy Vehicle) and Driver Grade-II (Light Vehicle), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Central Government Health Scheme, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Staff Car Driver Cadre (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** – The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7.- **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Grade-I).	16*(2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	By Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and having passed the trade test, specified by the Central Government.

				Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By Deputation: From amongst Officers of the Central Government, State Government or Union territory Administration,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications and experience, namely:- (a) Essential : (i) possessing a valid driving licence for motor cars; (ii) having knowledge of motor mechanism (the candidate shall be able to remove minor-defects in vehicles); (iii) experience of driving a motor car for at least three years: and (iv) 10th Class pass from a recognised Board. (b)Desirable : Three years' service as Home Guard or Civil volunteer. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for
--	--	--	--	--

				appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director, Central Government Health Scheme, New Delhi. - Chairperson; 2. Additional Director (Head Quarter) - Member ; Central Government Health Scheme, New Delhi. 3. Deputy Secretary or Under Secretary (Administration) - Member. Central Government Health Scheme, New Delhi.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver (Grade-II).	14*(2025) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the Pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	By Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 in the pay matrix (Rs 19900-63200) with nine years of regular service in the grade and having passed the trade test, specified by the Central Government. Note: Where juniors who have completed their

			qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By Deputation: From amongst Officers of the Central Government, State Government or Union territory Administration,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with nine years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 2 (Rs19900-63200) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications and experience, namely:- (a) Essential : (i) possessing a valid driving license for motor cars; (ii) having knowledge of motor mechanism (the candidate shall be able to remove minor-defects in vehicles); (iii) experience of driving a motor car for at least three years: and (iv) 10th Class pass from a recognised Board. (b) Desirable : Three years' service as Home Guard or Civil volunteer. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists
--	--	--	---

				shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director, Central Government Health Scheme, New Delhi. - Chairperson; 2. Additional Director (Head Quarter) - Member ; Central Government Health Scheme, New Delhi. 3. Deputy Secretary or Under Secretary (Administration) - Member. Central Government Health Scheme, New Delhi.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	14*(2025) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the Pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note.-The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory Administration of Ladakh,

					Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(a) Essential : (i) possessing a valid driving license for motor cars; (ii) having knowledge of motor mechanism (the candidate shall be able to remove minor-defects in vehicles); (iii) experience of driving a motor car for at least three years: and (iv) having 10th Class Pass from a recognized Board. (b) Desirable : Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed Personnel. Note.- There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Force Personnel : deputation or re-employment.	Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Central Government Health Scheme Organisation, who possess a valid driving licence for Motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive Motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who possesses the necessary qualifications as mentioned under column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruitment shall also be considered and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.

requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.				
--	--	--	--	--

(12)	(13)
Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director, concerned CGHS City or Additional Director, Central Government Scheme (Head Quarter). - Chairperson; 2. Chief Medical Officer, concerned Central Government Health Scheme City. - Member; 3. Administrative Officer, Establishment concerned CGHS City or a Group 'A' Officer working in the concerned CGHS city as nominated by the Additional Director concerned. - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/03/2021-CGHS-I]

GANESH KUMAR, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 171.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर ईख अधिकारी और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन इंजीनियर) भर्ती नियम, 2005, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन इंजीनियर) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सहायक आचार्य (रसायन इंजीनियरी) एवं कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन इंजीनियरी) के पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर, सहायक आचार्य (रसायन इंजीनियरी) और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह कि संविदा की है; या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और आने रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक आचार्य (रसायन इंजीनियरी)।	1* (2025) * कार्यभार के अनुसार पदों में भिन्नता हो सकती है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स (रु.67,700-2,08,700/-) में लेवल-11

चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/प्रोन्नति

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी, -

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100 – 1,77,500 रु.) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है, और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं :

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी में परास्नातक डिग्री; और

(ii) रसायन इंजीनियरी के क्षेत्र में पांच वर्ष का शिक्षण या उद्योग में कार्य करने या शोध का या चीनी कारखाने या डिस्टिलरी या रसायन संयंत्र की डिज़ाइनिंग या प्रचालन का अनुभव

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी में डॉक्टरेट।

(ii) साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल्स/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की जर्नल की अनुमोदित सूची में रसायन इंजीनियरी में शोध प्रकाशन।

टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु.56,100–1,77,500 रु.) में विभागीय ऐसे कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन इंजीनियरी), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच साल की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन इंजीनियरी)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 1,77,500 रु.)

(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----

लागू नहीं होता ।	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी में परास्नातक की उपाधि। (ii) रसायन इंजीनियरी क्षेत्र में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान/स्वायत्त संस्था या कानूनी संस्था में तीन वर्ष का शोध या प्रयोग या शिक्षण का अनुभव या चीनी कारखाने या डिस्टिलरी या रसायनसंयंत्र की डिज़ाइनिंग या प्रचालन का अनुभव। वांछनीय: शर्करा या सम्बद्ध उद्योग में या रसायनसंयंत्र में पर्यवेक्षणीय या उच्चतर स्थिति में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।
------------------	--	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक साल टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा के सफल समापन के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग) आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण- पदधारी प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं ।

(11)
लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टी समिति (पुष्टी पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. संयुक्त सचिव (शर्करा) या अपर सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग -अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/7/2023-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food And Public Distribution)

New Delhi, the 1st October, 2025

G.S.R. 171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Cane Officer and Junior Technical Officer (Chemical Engineering) Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Junior Technical Officer (Chemical Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor (Chemical Engineering) and Junior Technical Officer (Chemical Engineering) in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distributions, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Assistant Professor (Chemical Engineering) and Junior Technical Officer (Chemical Engineering) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Assistant Professor (Chemical Engineering).	1* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 (Rs. 67,700-2,08,700/-) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract)/promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	
(11)	
Promotion/Deputation (including short-term contract). Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous or statutory organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Master's degree in Chemical Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Five years' experience in teaching or working in industry or research in the field of Chemical Engineering or experience in designing or operation of Sugar Factory, distillery or Chemical plant. Desirable: (i) Doctorate in Chemical Engineering from recognised University or Institute. (ii) Research Publication in Chemical Engineering Discipline in Science Citation Index journals/University Grants Commission/All India Council of Technical Education approved list of journals. Note 1: The departmental Junior Technical Officer (Chemical Engineering) in the level – 10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with outsiders; and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years'. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Junior Technical Officer (Chemical Engineering)	1* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 10 (Rs. 56,100-1,77,500/-) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding thirty-five years. (Relaxable for government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Essential: (i) Master's degree in Chemical Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Three years' research or practical or teaching experience in the field of Chemical Engineering from College/University/Institute/Autonomous body or Statutory body recognised by the Central Government or State Government; or three years' experience in designing or operation of Sugar Factory, Distillery or Chemical plant.

	Note: The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Union Public Service Commission.	Desirable: Three years' experience of working in Sugar and allied Industry or Chemical plant at supervisory or higher position. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them
--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	One year for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the competent authority.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (Sugar) or Additional Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution - Chairman; 2. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Member; 3. Director/ Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/7/2023-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.